न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 58/2017/अपील

कन्हैयालाल पुत्र बिड़दीचन्द उम्र 75 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी रानोली उप तहसील पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

उप तहसीलदार पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 19.04.2017 प्रकरण संख्या 17/2017 अनुवानी सरकार बनाम कन्हैयालाल द्वारा उप तहसीलदार पलसाना

वकील अपीलांट श्री सुरजभानसिंह

निर्णय **दिनांकः—11.10.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार पलसाना जिला सीकर ने अपने आदेश दिनांक 19.04.2017 पत्रावली संख्या 17/2017 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलांट को भूमि खसरा नम्बर 1592/1480 रकबा 0.15 हैक्टर में से 0.15 हैक्टर पर पक्का अतिक्रमण मानकर बेदखल किए जाने हेतु आदेश पारित कर दिया। अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर पुराना 800 रकबा 44 बीघा 3 बिस्वा तन रानोली नया 1480 तत्पश्चात खसरा नम्बर 1592/1480 में से पूर्व खातेदार कल्याण सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत से रकबा 0.15 हैक्टर जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.10.1975 को क्रय किया था। उस वक्त उक्त रकबा छोटा होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(क) में छोटे रकबे के विक्रय पत्र पर रोक होने के कारण अपीलांट के पक्ष में नामान्तकरण नहीं भरा गया। लेकिन तत्पश्चात् राज्य सरकार ने धारा 42(क) दिनांक 11.11.1992 को अधिसूचना के जरिए विलोपित कर दी। जिसके पश्चात अपीलांट के नाम नियमानुसार खातेदारी हो गयी। इस तथ्य के बावजूद साजसी तरीके से तहसीलदार ने विलोपित किए गए प्रावधान की अनदेखी कर सहायक कलेक्टर सीकर के न्यायालय में पूर्व खातेदारो के विरूद्ध व अन्य के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन पेश किया कि उन्होने प्रश्नगत भूमि को छोटे टुकड़ो में बेचकर धारा 42 आरटीएक्ट का उल्लघंन किया है। इसलिए उन्हे बेदखल किया जावे। जबकि उस वक्त धारा 42(क) अस्तित्व में नही थी और न ही अपीलांट को उसमें पक्षकार बनाया, न ही अपीलांट को नोटिस दिया गया। किसी भी पक्षकार को सुनवायी का अवसर दिये बिना व किसी पक्षकार की साक्ष्य लिए बिना ही बेदखली का आदेश दिनांक 31.05.2008 पत्रावली संख्या 136/2003 उनवानी सरकार बनाम चौथमल आदि में सिवाय चक घोषित कर बेदखली का निर्णय पारित कर दिया। तत्पश्चात् श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,सीकर अपने पत्र क्रमांक 8894/राजस्व दिनांक 09.11.2011 के जरिये राज्य

नियम 2007 में प्रस्तावित दरों पर नियमन करने के लिए संशोधित अधिसूचना जारी करवाने का निवेदन किया और बेदखली एक तरफ से रोकने के आदेश पारित कर दिये। इस तथ्य की पूर्णतया अनदेखी कर अधीनस्थ उप तहसीलदार ने गलत निर्णय पारित किया है। वर्ष 2011 में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजस्थान मार्ग संख्या 11 को चौड़ा करने के लिए उपरोक्त भूमि का कुछ हिस्सा अवाप्त कर लिया। जिस पर खातेदारी अवैध रूप से सिवाय चक घोषित हो जाने व कब्जा खातेदारो का रहने के कारण मुवाअजे के विवाद पर जिला कलेक्टर महोदय ने राजस्थान सरकार राजस्व विभाग से मुआवजे बाबत दिश निर्देश मांगे। जिस पर राजस्व विभाग ने खातेदारो को मुआवजा देने का निर्देश देने पर अपीलांट को मुआवजा भी प्राप्त हुआ। अपीलांट की प्रश्नगत भूमि नियमन योग्य थी। अपीलांट ने उक्त भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने के लिए चालान सं0 279, 280 दिनांक 11.06.1999 को कुल एक लाख रूपये राज्य सरकार को जमा भी करवा दिये। उपरोक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक गलत व प्रार्थी 1975 से काबिज है अर्थात 40 वर्ष से अधिक समय से काबिज है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बउनवानी राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती पदमावती आरएलडब्लू 1995 एससी पेज 117 के अनुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू ही नही होते है, लेकिन फिर भी योग्य अधिनस्थ उप तहसीलदार पलसाना ने माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जो सब अधिनस्थ न्यायालयो पर बाध्यकारी है, को दरकिनार कर भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 को भी मानने से इंकार कर गलत निर्णय पारति किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पलसाना का निर्णय जेर अपील दिनांक 19.04.2017 निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट स्वयं अनुपस्थित रहा। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम रानोली के खसरा नम्बर 1592/1480 रकबा 0.15 है0 किस्म सिवायचक बा.1 में से 0.15 है0 पर दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। पत्रावली पर नायब तहसीलदार पलसाना, पटवारी हल्का रानोली की उपस्थिति में फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.04.2017 के मुताबिक ग्राम रानोली के सिवायचक खसरा नम्बर 1592/1480 पर पश्चिम दिशा में 6 दुकाने जो रोड़ से लगती हुई है, जिस पर आरसीसी स्लैप का निर्माण हाल ही में किया गया है तथा पूर्व में 6 दुकाने जिनमें आरसीसी स्लैप नहीं डाला हुआ है, को बन्द कराया गया तथा मौके पर निर्माण करते हुये मजदूर भाग गये तथा मौके पर पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। अन्य लौगों की उपस्थिति में अतिक्रमी के द्वारा बनाई गई दुकानों पर उपतहसीलदार पलसाना द्वारा जारी धारा 91(1) का नोटिस चस्पा किया गया एवं भविष्य में इस भूमि में नया निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के मुताबिक ग्राम रानोली के आराजी खसरा नम्बर 1592/1480 रकबा 0.15 सिवायचक काबिल काश्त दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित

बेदखली आदेश दिनांक 19.04.2017 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/10/19

(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर